संख्या-561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से झांसी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 25 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **झांसी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 25 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 25,13,19,000/- (रूपये पच्चीस करोड़ तेरह लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 8,79,62,000/- (रूपये आठ करोड़ उन्यासी लाख बासठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. जालौन	350362	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जैतपुरा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2, 3(800) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.800	42.28	14.80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	आई/317827/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. जालौन	350264	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत मनौरी दिरावटी भेड़ तीतरा (अन्य जिला मार्ग) में सी0सी0 से मरम्मत का कार्य।	0.900	41.97	14.69
3	आई/317827/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 जालौन	350237	ऊमरी पतराही जगम्मनपुर से कंजौसा मार्ग के किमी0 24 से 26 में विशेष मरम्मत व किमी03 में 600 एम0एम0 एच0पी0 कल्वर्ट व किमी0 18 में 3 गुणा आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	3.000	67.99	23.80
4	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. जालौन	350486	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जालौन कोंच से सिकरी राजा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	48.62	17.02
5	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. जालौन	UP35VR0052	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत के अनतर्गत देवरी नारायणपुरा सम्पर्क मार्ग का कार्य।	4.220	83.98	29.39
6	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. जालौन	350376	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत ऐंधा वाया पुर सम्पर्क मार्ग में मरम्मत का कार्य।	4.500	51.41	17.99
7	आई/317827/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 जालौन	350204	हरक्का माड़री से मकरन्दपुरा सम्पर्क मार्ग।	7.300	69.19	24.21
8	आई/317827/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 जालौन	350674	बी0पी0 रोड से जगतपुर अहीर समरक मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य	4.000	94.28	33.00
9	I/322496/2025 dt 29.10.25	नि.ख.-3 जालौन	350246	कदौरा इकौना मार्ग किमी0 1 व 2(300) में विशेष मरम्मत कार्य।	1.300	81.16	28.41
10	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360171	जनपद झाँसी में हीरापुर बुढपुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-4 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	Box Culvert	88.18	30.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
11	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360171	जनपद झाँसी में हीरापुर बुढपुरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-3 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	Box Culvert	80.46	28.16
12	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360628	जनपद झाँसी में बबीना से खाड़ी सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 से 5 में विशेष मरम्मत का कार्य।	5.000	43.03	15.06
13	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	UP36VR0506	जनपद झाँसी में पृथ्वीपुर से नयाखेडा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पर कि0मी0-1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	Box Culvert	83.49	29.22
14	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360008	जनपद झाँसी में महेशगढ सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) पर कि0मी0-1 में स्थित क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	Box Culvert	64.59	22.61
15	आई/317827/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360175	झाँसी बबीना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के आबादी भाग के (कि0मी0-13 व 27) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.400	85.85	30.05
16	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360150	मोठ-भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण के साथ विशेष मरम्मत का कार्य।	2.330	406.96	142.43
17	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-3 झांसी	360048	वित्तीय वर्ष 2025-26 में खिल्ली से मरोडाखुर्द पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.800	47.01	16.45
18	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. झांसी	365418	बरूआसागर-टहरौली-भसनेह-गरौठा (प्र0जि0मा0 48-बी) में टहरौली आबादी भाग में सी0सी0 से विशेष मरम्मत का कार्य।	1.230	346.19	121.17
19	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. झांसी	360262	टहरौली किला सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में शार्ट पैनल सी0सी0 से विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	60.21	21.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0मी0)	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
20	आई/317827/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. झांसी	UP36VR0578	पंचमपुरा से चुरारा सम्पर्क मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.900	50.20	17.57
21	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. झांसी	360098	बड़ागॉव गेट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) में सी0सी0 से विशेष मरम्मत का कार्य।	0.530	81.99	28.70
22	I/322496/2025 dt 29.10.25	प्रा.ख. झांसी	360101	पाली पहाड़ी से मेडिकल बाईपास मार्ग में विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	222.49	77.87
23	आई/303171/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. ललितपुर	370048	रोड़ा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1(670) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.670	51.45	18.01
24	आई/317827/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. ललितपुर	375747	देवगढ़ ललितपुर टीकमगढ़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-132) के किमी0 36 में आर0सी0सी0 पुलिया एवं किमी0 53 (185) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.185	48.91	17.12
25	I/322496/2025 dt 29.10.25	नि.ख.ललितपुर	370191	विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत एन0एच0 26 बांसी आबादी भाग के चै0 69.800 से 70.800 में व्हाईट टॉपिंग कोट का कार्य।	1.000	171.30	59.96
					कुल योग-	**2513.19**	**879.62**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 8,79,62,000/- (रूपये आठ करोड़ उन्यासी लाख बासठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-561/2025/आई/1139704/23-1-25/001-23-1002(002)/292/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।